अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 58–125/2012

अपीलार्थी – संजीदा खातुन

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1449 दिनांक 28.09.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि दिनांक 27.6.2012 को सहायक निदेशक, आई0सी0डी0एस0 बिहार पटना द्वारा वसन्तपुर परियोजना के केन्द्र सं0– 113 लालपुर गोठ केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केन्द्र बंद पाया गया। केन्द्र पर एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था।

उपर्युक्त अनियमितता के संबंध में कार्यालय ज्ञापांक 1228/प्रो0 दिनांक 24.08.2012 द्वारा केन्द्र के बंद रहने, एक भी बच्चें नहीं पाये जाने के संबंध में अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की माँग किया गया, एवं सुनवाई की तिथि 31.08.2012 निर्धारित किया गया निर्धारित तिथि को अपीलार्थी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के समक्ष अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता/ सरकारी अधिवक्ता ने अपना –अपना पक्ष कागजात, साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश नियम एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। आदेश पारित करते समय न्यायिक दृष्टि का पालन नहीं किया गया है, बल्कि यांत्रिक ढ़ंग आदेश पारित किया गया है। साथ ही विभागीय पत्रांक 1998

दिनांक12.06.2012 के अनुसार निरीक्षी पदाधिकारी सहायक निदेशक आई0सी0डी0एस0 बिहार पटना की जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति अपीलार्थी के हस्तगत नहीं कराया गया है।

इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के स्पष्टीकरण निर्गत पत्र (ज्ञापांक– 1228 दिनांक 24.08.2012 में) जाँच तिथि 27.06.2012 तो वर्णित किया है, किन्तु जाँच का समय खाली छोड़ दिया गया है, जिसे स्पष्ट नहीं होता है कि निरीक्षी पदाधिकारी सहायक निदेशक ने किस समय में केन्द्र का निरीक्षण किया है, अतः प्रतिवेदन ही अस्पष्ट एवं भ्रामक दिखेता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि सही बात यह है कि निरीक्षण तिथि 27.07.2012 को अपीलार्थी ने नियमानुसार केन्द्र का संचालन किया है, तथा बच्चों को पोषाहार भी बनाकर खिलाया है, चूँकि उक्त केन्द्र पर सहायिका का पद रिक्त है, पोषाहार खिलाने के बाद अचानक सेविका की तबीयत खराब हो जाने के कारण सेविका अपना ईलाज कराने वास्ते फारबीसगंज चली गई, जहाँ उसने अपना ईलाज डॉ0 हरि किशोर सिंह (M.D.) रेफरल अस्पताल, फारबीसगंज से कराई। चूँकि वे केन्द्र पर ही अचानक अस्वस्थ हो गई अतः बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार देने के बाद डॉक्टर के पास चली गई, सहायिका भी नहीं थी, अतः केन्द्र को निर्धारित अवधि से आधा घंटा पहले बंद करना वाजिव समझा । इसी अंतराल में निरीक्षी पदाधिकारी केन्द्र पर पहुँचे केन्द्र को बंद पाया किन्तु किसी भी लाभुक वर्ग के लोगों ने यह नहीं बताया कि केन्द्र आज बंद था, या समूचित संचालन नहीं हुआ, अतः सिर्फ अनुमान लगाकर कि केन्द्र बंद था, सेविका को चयन मुक्त की अनुसंशा की गई, जो पूर्णतः सही निर्णय नहीं था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरिक्षण तिथि को केन्द्र पर 26 लाभुक बच्चें उपस्थित थे, जो उसमें उपस्थिति पंजी में दर्ज है, अवलोकन कराया गया।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि सेविका का अचानक निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण तिथि को अस्वस्थ हो जाना वास्तविकता से परे है, उन्हें निर्धारित समय तक तो केन्द्र पर रहना चाहिए जो नहीं किया गया, इसका मतलब है कि सेविका अपने स्वेच्छा से कार्य करती है, जबकि वह जानती थी कि सहायिका केन्द्र पर नहीं है तो उन्हें अपने दायित्वों को और अधिक अच्छे तरीके से निर्वहन करना चाहिए जो, नहीं किया गया जो उसकी लापरवाही एवं मुस्तैदी से काम नहीं करने का एक उदाहरण है अतः निम्न न्यायालय का निर्णय सही प्रतीत है।

उपर्युक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह सही है कि सेविका ने निर्धारित समय से आधे घंटे पूर्व केन्द्र संचारूरूपेण संचालन कर केन्द्र बंद कर अपनी अस्वस्थता के कारण ईलाज हेतु डॉक्टर के पास चली गई , तो इसमें कोई अपराध नहीं किया गया

है, वह निरीक्षण तिथि को भी वह केन्द्र पर थी उपस्थिति पंजी में अपनी हाजिरी दर्ज है, लाभुक बच्चें भी 26 थे, जो उपस्थिति पंजी में दर्ज है। निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण में किसी भी लाभुक वर्ग के माता – पिता ने यह शिकायत दर्ज नहीं किया कि केन्द्र बंद था, पोषाहार नहीं बँटा है, ऐसी शिकायत किसी भी लाभुक ने दर्ज नहीं कराया है, सिर्फ अनुमान लगाकर कि केन्द्र खुला न था, पोषाहार वितरण नहीं हुआ चयन मुक्त करना नियमतः सही नहीं है, हाँ एक गलती हुई कि केन्द्र निर्धारित अवधि से आधा घंटा पहले बंद कर अपनी अस्वस्थता के वजह से डॉक्टर के पास जाना ईलाज हेतु चला जना यह गलती भी थोड़ी देर के लिए भी सही माना जा सकता है, क्योकि उनकी निर्धारित अवधि के बाद भी केन्द्र छोड़ा जा सकता था, इसमें बहुत कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा था, अतः थोड़ी गलती के किए इतने कड़े दंड देना चयन मुक्ति का यह सर्वथा अनुचित है। यह बात सही है जब केन्द्र पर सहायिका न थी, तो सेविका श्रीमती संजीदा खातुन को पूरी निर्धारित अवधि तक रहकर ही संचारूरूपेण केन्द्र संचालित कर ही छोड़ना चाहिए था, जो उसकी मुस्तैदी एवं कार्य कुशलता को कम कर देता है, अतः यह न्यायालय इस पक्ष में है कि ठीक है अपना शरीर स्वस्थ रहना पहली प्राथमिकता है किन्तु लाभुक वर्ग का भी उत्थान, कल्याण, उनकी सेवा, भी उनका ही दायित्व है। अतः निर्धारित अवधि से आधे घंटे पूर्व बंद कर देने के आरोप में पूरे एक माह के लिए पूरक पोषाहार राशि जो होती है, सरकारी खजाने में जमा करने के उपरान्त ही आदेश निर्गत तिथि से सेविका के पद पर बहाल करने का आदेश देती है । आर्थिक दंड इस लिए भी कि सेविका अपने दायित्वों को भविष्य में और अधिक मुस्तैदी व लगन के साथ करेंगी, ऐसा ऐहसास होना भी आवश्यक है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

27.2.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

27.2.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा